



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक— 1457 / 1सी0 (वन)

दिनांक 8 / 9 / 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
 केदानाथ वन्य जीव प्रभाग
 गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12837/2015 कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी राज्य मार्ग सं0 34 से मालई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 हेठा सिविल वन भूमि का लोननिविवो को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- Essential Details Sought दिनांक 05.09.2016
 महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि कर्णप्रयाग —नौटी—पैठाणी राज्य मार्ग सं0 34 से मालई मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नप्रकार है।


क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No.-2 of EDS, it is mentioned that the information/document is uploaded in Part-I by User Agency. But, the Scanned copy of the map prepared by Using GPS i.e. the geo-referenced digital map showing geocoordinates at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road to be prepared through GIS software has not been found attached at para-B-2.4 instead, the previously attached geo-referenced digital map only is found attached which does not serve the purpose.	संशोधित डिजिटल मैप पुनः अपलोड कर दिया गया है। संलग्न— डिजिटल मैप (पेज नं0 –2)
2	In reply to point No.-3 of EDS, it is mentioned that the documents are uploaded in Part-I by the User Agency. But, the previously attached documents only are found attached in online para-k without mentioning date. State Govt. may submit FRA certificate and proceedings of the Sub Divisional Level Committee meeting after recording date in the documents.	संशोधित FRA पुनः अपलोड कर दिया गया है। संलग्न— एफ0आर0ए0 (पेज नं0 –3)
3	In reply to point No.-4 of EDS, density is corrected to 0.3, hence, revised NPV calculation is required to be submitted.	वन का घनत्व उपवन संरक्षक केदारनाथ द्वारा 0.5 हेठा लिया गया है व इसके आधार पर एन0पी0वी0 की गणना की गयी है। संलग्न— एन0पी0वी0 की गणना का प्रमाण पत्र (पेज नं0 –3)
4	Regarding data given in the district profile in para-14 of online Part-II, the reply of the State Govt. is not satisfactory. The CA stipulated (434.32 ha) is not commensurate to the forest land diverted (1031.955 ha). Logically, CA stipulated should be double the area of forest land diverted. Therefore, State Govt. may clarify the mismatch. Further, it is mentioned in the reply by the State Govt. that it is not possible to complete the CA targets because of delay and resultant increase in the daily wage rates. State Govt. may undertake critical review of such situations and submit comments to this office.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

भवदीय
 8/9/16
 अधिशासी अभियन्ता
 अस्थाई खण्ड, लोननिविवो
 गौचर (चमोली) 10/9/16



डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली में कर्णप्रयाग - नौटी - पैठांगी राज मार्ग सं. 34 से मालई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

लम्बाई - 1.625 किमी०



वन विभाग
जनपूर वन विभाग

अधिकारी
आम अधिकारी
वन विभाग

एस्थाइ
वन विभाग

मुख्य
वन विभाग

लेन्ड

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated----- 20.05.2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.450 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Karanprayag-Nauti- Paithani S.H. No. 34 to Malai" in Chamoli district falls within jurisdiction, Malai village (s) in Aadibadri/Gairsain tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.450 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Malai' sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चमोली

5

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 20.05.2015 at time 17.00 hrs at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 1.167 hect for the construction of "Karanprayag-Nauti- Paithani S.H. No. 34 to Malai" and forest land 0.450 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Aadibadri/Gairsain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated:...20.05.2015

L

**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**
जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम : कर्णप्रसाद - नौटी - पैगांडी राज्य मार्ग 34 से आम-मार्लॉटक भोट
मार्ग नव निर्भाव हेतु 0.420 हे. सिविल शृंखला एवं मकड़ियोजल हेठो 0.030 हे.
सिक्का = मासि, कुल 0.450 हे. सिविल म्हासि का लो. नि. वि. को दस्तावाचतरण।
कार्यालय उप जिलाधिकारी, आदिवासी डॉ रमेश।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र ~~००१५२१~~

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जानवारी ग्राम

उपर्युक्त अधिकारी परिशेष के अन्तर्गत ठान्हियांग-मैडी-पैठाठी राज्य मार्ग 34 से ग्राम भालौल्ये
प्रोटोकॉल निर्णय X हेतु आरक्षित वन भूमि 0.420 हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.30 हेतु सिविल श्रमिक
 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.450 हेतु सिविल भूमि) का लो.नि.वि.
जोखा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपर्युक्त स्तरीय समिति, (तहसील जादिबद्दी) की दिनांक 16/5/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|------|---------------------------|-------------|
| 1- | श्री | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री | उप प्रभागीय वनाधिकारी | रादरस |
| 3- | श्री | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | समाज कल्याण |
| 4- | श्री | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदर |

उपर्युक्त सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में सम्मत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भा.पु.धी.राज्य योजना के अन्तिगत कृषि प्रियांज - नौरी - पैठाठी राज्य प्रांग 34 से श्राम मालई के निर्भाग टेतु 0.420 हे. सिविल श्रम इवं अक डिस्ट्रिक्ट टेतु 0.030 हे. सिविल श्रम कुल 0.450 हे. सिविल वन श्रमिकों का लो. नि. वि. की

हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंसा की गई है।

गजस्थ उप नियमितकाम्यालै
ताहसील- जिला-चमोली

केन्द्रीय वनस्पति परियोजना

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

काप्रिमांग - नौया - पैदाली - राप्पा नारा 34 लैलू लू नोएट्ट्वर्परियोजना के निर्माण हेतु 0.4502.

वन भूमिप्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - आदिकुदी (डी.एस.)
जनपद - वगोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, वगोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - आदिकुदी (डी.एस.)
जनपद - वगोली

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम : कुर्णी प्रयाग - नौटी - पैठाठी राज्य मार्ग 34 स्थलव निर्माण हेतु
 0.420 हे. सिविल श्रमि इवं सक्रियोजन हेतु 0.030 हे. कुल
 0.450 हे. स्थिविल श्रमि का ला. नि. वि. का हस्तान्तरण।
 वन अधिकार आधीनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पद्ध-

ग्राम पंचायत का नाम मोहनपुर
तहसील झाँडियाल जिला राजस्थान

उत्तराखण्ड में जनपद के निर्माण हेतु (- X - है) आरक्षित वन भूमि, 0.420 सिविल है। सिविल सोयम भूमि, 0.030 सिविल परियोजना तथा निर्माण है। अर्थात् कुल 0.450 हेतु वन भूमि का लोनि वि. अ.ख.

ओचर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं दून मंत्रालय द्वारा ग्रत्यावर्तित करने हेतु आदेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकारण के विषय में ग्राम पंचायत **मालई** द्वारा दिनांक 09/2/15 को सम्बन्धीय सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्भत करने हेतु विरतृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के त्राहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपर्युक्त सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा भईसमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नालू 0.450 हेक्टर के ग्रामवासियों को उक्त घन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्गमण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

३० / F. B. Dutt
प्रामाण्यिक प्र० सी० मैखरी

ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्रभाग: विकास स्वैंप. नेरोन

नोट :- अिलादि किसी आदिवासी अथवा बगवासी की तदनुसार उक्त विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रबन्ध उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति हारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक ०९/०२/१८ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मालवा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	जीरणजीत खिटौ	
②	" जगदुखिा खिटौ	
③	" राजेन्द्र खिटौ	
④	" लालभाना खिटौ	
⑤	" प्रकाश खिटौ	
⑥	" कणजीत खिटौ	
⑦	" रघुवीर खिटौ	
⑧	" देवेंद्र खिटौ	
⑨	" विजय खिटौ	
⑩	" ३६५ खिटौ	
⑪	" भोटन खिटौ	
⑫	" जी जीविन्द्र खिटौ	
⑬	" लालवर खिटौ	
⑭	" लिलोक खिटौ	
⑮	" पुष्टर खिटौ	
⑯	" अणां खिटौ	
⑰	" कुकुर खिटौ	
⑱	" कुवर खिटौ - वैद्यरी	
⑲	" इन्द्रजीता खिटौ	
⑳	" सुमन खिटौ	

⑳ - " विकाम खिटौ — Shankar

㉑ - " लिलोक खिटौ — Shankar

㉒ - " दिनेश खिटौ — Dinesh

㉓ - " नाकुर खिटौ — Nakur

㉔ - " अर्जुन खिटौ — Arjun

㉕ - " भोटन खिटौ

㉖ - " रघुवीर खिटौ — Raghuvir

㉗ - " शंडीन खिटौ — Shandee

㉘ - " राकेश — वन्दन कैलाव — Rakesh

㉙ - " राकेश — वन्दन कैलाव — Rakesh

㉚ - " छेव राम — Chhev Ram

㉛ - " रघुवीर प्रताह — Raghuvir Pratap

㉜ - " केवर द-व नैयामी — Kewar Dev Naimi

㉝ - " पशु लीला देवेली — Pashu Leela Develi

㉞ - " बड़ा प्रताह — Bada Pratap

㉟ - " बड़ा प्रताह — Bada Pratap

㉟ - " बड़ा प्रताह — Bada Pratap

₹०/-
ग्राम प्रधान



Malhotra

Gopal Singh

पीठीला

ग्राम विकास अधिकारी

क्षेत्र मालवा

जिला

प्रपत्र-23.1

दिनांक ०९।१२।८५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भालौ

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
36 -	गोदावरी देवी	
37 -	डॉ मितो - पारिता देवी	
38 -	लक्ष्मी रामचंद्री देवी	रामचंद्री देवी
39 -	विरेन्द्र ठाकुर	
40 -	जगदेव लिंग नंदी	जगदेव लिंग नंदी
41	उमड़ी	
42	मुरली भाट	मुरली भाट

✓ हो/-
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-


मा० मुख्यमंत्री घोषणा में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी राज्य मार्ग 34 से मालई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.420 हे० सिविल वन भूमि, एवं मकड़िस्पोजल हेतु 0.030 हे० कुल भूमि 0.450 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 5/2/2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता नियमानुसार है।

- 1- इको-क्लास श्रेणी..... ✓
- 2- हरियाली का घनत्व..... 0.3 - 0.5
- 3- एन०पी०वी० की दर प्रति हे० 9,39,000.00 (139000/-)
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल..... 0.450
- 5- कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि..... 62,550.00


 वन क्षेत्राधिकारी
 घनाउट वन शिवा (पौर्यद)


 उप हा० संरक्षक
 केदारनाथ कन्य जीव प्रकाश
 प्रभागीय वनमाधिकारी